10 COURT FEE १० भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 COURT FEE १० भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

R. 99-III 109

29 DEC 2008

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर म. प्र.

राजस्व निगरानी प्र. क्रं. सन् 2008

1- जगदीश प्रसाद तनय रघुनंदन ब्रा0
2- सियाराम तनय रघुनंदन ब्रा0
3- शिवचरण तनय रघुनंदन ब्रा0
4- घांसीराम तनय रघुनंदन ब्रा0
निवासीगण धावा तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर म. प्र. ---- ----- प्रार्थीगण

बनाम

1- बड़े तनय रामसेवक ब्रा0
2- बच्चू तनय रामसेवक ब्रा0
3- स्वामी प्रसाद तनय रामसेवक ब्रा0
4- ब्रम्हादीन तनय रामसेवक ब्रा0
निवासीगण ग्राम धावा तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर म. प्र. ---- ------प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान कमिश्नर महो. सागर दिनांक 20-10-08 जो राजस्व अपील प्रकरण क्रं. 3/अ-6अ /2007-08 में पारित किया गया । निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. राजस्व संहिता 1959

महोदय,

प्रार्थीगण सादर निम्नलिखित निगरानी आवेदन कमिश्नर महोदय के आदेश दिनांक 20-10-08 के विरूद्ध प्रस्तुत करते है :

1- यह कि भूमि खसरा नं. 184/2 रकबा 0. 20 एकड़ स्थित ग्राम धावा तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म. प्र. सन् 195 के पूर्व से अर्थात म. प्र. भू. रा. सं. के प्रभाव शील होने के पूर्व से प्रार्थीगण के पिता रघुनंदन और चाचा जगप्रसाद के नाम राजस्व अभिलेखों में द रही , और इनके नाम सम्मत 2015 की खतौनी जिसे संहिता में अ कार अभिलेख माना गया है में भी दर्ज थी , प्रार्थीगण के चाचा ज

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक...... निग. 99/III/09 ...... जिला ...... छतरपुर ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-6-16	1— आवेदक के अधिवक्ता अनिल पाठक उपस्थित अनावेदक की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र खरे उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी आयुक्त सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 3/अ—6—अ/2007—08 में पारित आदेश दि. 20/10/2008 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि वादग्रस्त भूमि आवेदकगणों के पिता स्व. रघुनंदर और चाचा जगदीश प्रसाद के स्वत्व एवं कब्जे की भूमि रही हैं वारिसान नामांतरण में उक्त भूमि के संबंध में प्रतिपक्ष क्र.1 द्वारा रिकार्ड सुधार हेतु पूर्व में भी नायब तहसीलदार सरबई के समक्ष आवेदन किया था। नायब तहसीलदार सरबई द्वारा यह मानते हुए कि उक्त प्रविष्टि अधिकार अभिलेख 2011/2015 के पूर्व की होने के कारण संशोधन की अधिकारिता उन्हें नहीं और उक्त आधार पर आवेदन निरस्त किया जिसके विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी के समक्ष अपील की गई जो निरस्त की जाकर नायब तहसीलदार यथावत रखा जिसके विरूद्ध कोई अपील/निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है इस कारण रेसजुडीकेटा के तहत प्रकरण पुनः विचार में लिया जाना न्यायसंगत नहीं किंतु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा इस महात्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिए बिना विचारण न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तावित कार्यवाही एवं पारित आदेश दिनांक 20.07.2001 की पुष्टि की है इस कारण उन्होंने आयुक्त सागर एवं अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.07 निरस्त करते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है। 3— अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया है कि अनावेदकगण के पिता द्वारा दिनांक 16.01.53 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से भूमि क्रय की थी तभी से उनका कब्जा चला आ रहा है। आवेदकगणों द्वारा पटवारी से सांठगांठ कर बाद में उक्त रकवे में से 0.20 एकड़ भूमि अपने	

R-99. III/09 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नाम अंकित करवा ली तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी के फर्जी तरीके बटा नंबर अंकित कराया है जिसकी जानकारी होने पर विधिवत रूप से नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिन्होंने उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत उपरोक्त रिकार्ड सुधार का आदेश दिया है आवेदकगणों द्वारा 0.20 एकड़ भूमि के स्वत्वधारी होने के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है उनका यह भी तर्क है कि पक्षकार अलग--अलग होने के कारण रेसजुडीकेटा का प्रभाव इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। तथा यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि भूमि खसरा नंबर 184 रकवा 2.22 एकड़ पूरी की पूरी रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 16.01.53 के तहत अनावेदकगणों के पिता द्वारा क्रयशुदा भूमि है अधीनस्थ न्यायालय कमिश्नर सागर एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विस्तृत व्याख्या उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार न होने से प्रश्नगत आदेश स्थिर रखते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 4-- उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं रिकार्ड तथा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। आयुक्त सागर द्वारा विस्तृत व्याख्या उपरांत इस तथ्य को मान्य किया है कि भूमि खसरा नंबर 184 रकवा 2.22 एकड़ अनावेदकगण के पिता द्वारा क्रय की गई थी जिसमें से अंश भाग रकवा 0.22 एकड़ पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आवेदकगण के नाम दर्ज किया गया है जिसका सुधार विचारण न्यायालय तहसीलदार को किए जाने की अधिकारिता है उन्होनें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.07 की पुष्टि करते हुए अपील निरस्त की है आवेदकगणों द्वारा इस न्यायालय में भी उक्त भूमि के संबंध में कोई स्वत्व दस्तावेज नहीं किया है इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं पाता हूँ। 5-- उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/10/2008 एवं अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03/09/2007 स्थिर रखते हुए यह निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	